संख्या- 11 / 2016 / 1604 एस0सी0/ 18-2-2016-34 / 12

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त
उ0प्र0, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 19 अक्टूबर, 2016

विषय- चीनी उद्योग, कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 का समय विस्तार किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-111 एस0सी0/18-2-2013-34/12 दिनांक 28 जनवरी, 2013, शासनादेश संख्या-9/2015/941एस0सी0/18-2-2015-34/12 दिनांक 09 सितम्बर, 2015 तथा शासनादेश संख्या-15/2015/1411 एस0सी0/18-2-2015-34/12 दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित कर चीनी मिलों, आसवनियों व कोजनरेशन की स्थापना हेतु चीनी उद्योग, कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 लागू की गई है। नीति में दी गई छूट एवं शर्तो से आकर्षित होकर विभिन्न चीनी मिल समूहों द्वारा प्रदेश में निवेश किया जा रहा है। उक्त निर्गत नीति की समय सीमा जनवरी, 2017 में समाप्त हो रही है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है **कि चीनी उद्योग, कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013, जिसकी अवधि माह जनवरी, 2017 में समाप्त हो रही है, को प्रदेश के औद्योगिक हित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त नीति का कार्यकाल अतिरिक्त एक वर्ष, अर्थात जनवरी, 2018 तक बढाया जाता है।**

4- तदनुसार उक्त सीमा तक नीति को संशोधित समझा जाए। नीति में प्राविधानित व्यवस्था यथावत रहेगी।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 11/2016/ 1604 (1) एस0सी0 /18-2-16 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, उर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु लखनउ।
10- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, लखनउ।
11- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, लखनउ।
12- निदेशक, गन्ना शोध परिषद शाहजहॉपुर।
13- निदेशक, गन्ना शोध परिषद लखनउ।
14- निदेशक, सूचना निदेशालय, उ0प्र0, लखनउ।
15- चीनी उद्योग अनुभाग-1 एवं 3
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।